

No. 5/4/2016-1AR
GOVERNMENT OF HARYANA
CHIEF SECRETARY'S OFFICE
ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

Chandigarh the, 28th February, 2017

Subject: Appointment of State Chief Information Commissioner in the State Information Commission.

The Government of Haryana has constituted a body under the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005) known as the State Information Commission to exercise the powers conferred on and to perform the functions assigned to it under the Act. It is located in Chandigarh. The Commission shall have the Chief Information Commissioner and upto ten Information Commissioners. The powers and functions of the Chief Information Commission and the State Information Commissioners are as per chapter V of the Act.

2. It is proposed to appoint State Chief Information Commissioner in the Commission. The Act provides that the State Chief Information Commissioner shall be person of eminence in public life with wide knowledge and experience in law, science and technology, social service, management, journalism, mass-media or administration and governance.

3. Further, the State Chief Information Commissioner shall not be a Member of Parliament or Member of the Legislature of any State or Union Territory, as the case may be, or hold any other office of profit or connected with any political party or carrying on any business, or pursuing any profession. It is clarified that cessation/termination of holding of office of profit, pursuing any profession or carrying any business is a condition precedent to the appointment of a person as State Chief Information Commissioner.

4. State Chief Information Commissioner shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office or till he attains the age of 65 years, whichever is earlier. The salary and allowances payable to State Chief

Information Commissioner shall be the same as that of Election Commissioner subject to adjustment of the pensionary /retirement benefits availed by him, if any, in accordance with the provisions of the Act.

5. Persons fulfilling the criteria for appointment as State Chief Information Commissioner and interested for appointment to the post may send their particulars in the enclosed proforma by post to the office of Secretary to Government of Haryana, Administrative Reforms Department, 9th floor, Room No. 38, Haryana Civil Secretariat, Sector-1, Chandigarh by 31.03.2017. Persons who are serving under the State/Central Government or any other Organization, may send their particulars through proper channel.

6. The persons who have already applied for this post against Government advertisement dated 22.03.2016 and 22.04.2016, need not apply afresh.

Secretary to Govt. Haryana,
Administrative Reforms Department.

Proforma for sending particulars for consideration for the post of State Chief Information Commissioner in the State Information Commission, Haryana

Please affix the
latest passport size
photograph

1. Name:
2. Date of Birth:
3. Present Address:
4. Contact No.
 - a) Telephone (along with STD code)
 - b) Mobile
 - c) Fax
5. E-mail Address:
6. Educational Qualification:
7. Area of Eminence:
8. Present Occupation:
9. Achievements/Work Experience
(in brief):

Date:

Signature:

Place:

Name:

क्रमांक 5/4/2016-1ए0आर0

हरियाणा सरकार

प्रशासकीय सुधार विभाग

दिनांक चण्डीगढ़, 28 फरवरी, 2017

विषय:- हरियाणा राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्ति बारे ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 22) के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग करने तथा सौंपे गये कार्यों को करने के लिए हरियाणा सरकार ने एक बाडी का गठन किया गया है जो कि हरियाणा सूचना का अधिकार आयोग के नाम से जाना जाता है। यह चण्डीगढ़ में स्थित है। आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा दस तक सूचना आयुक्त हो सकते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्तों की शक्तियां तथा कार्य अधिनियम के अध्याय V के अनुसार होंगे ।

2. हरियाणा सूचना का अधिकार आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति का प्रस्ताव है। अधिनियम के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाजसेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव वाला समाज में प्रख्यात व्यक्ति होगा ।

3. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधान मण्डल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा या किसी राजनैतिक दल से सम्बन्ध नहीं होगा या कोई कारोबार नहीं करेगा या कोई व्यवसाय नहीं करेगा । एक व्यक्ति की राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की एक पूर्व शर्त होगी की वह किसी लाभ का पद लिए हुए है, किसी व्यवसाय में कार्यरत है या कोई व्यापार कर रहा है, उस कार्य/व्यवसाय को छोड़ना पड़ेगा।

4. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त उस तारीख से इस पद के लिए वह अपना कार्यभार ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो के लिए पद धारण करेगा। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन और भत्ते निर्वाचन आयुक्त के समान होंगे। यदि वह कोई पेंशनरी/सेवा निवृत्त लाभ प्राप्त कर रहा है तो अधिनियम में दिए गए प्रावधान अनुसार उसे वेतन में समायोजित कर लिया जाएगा।
5. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए इच्छुक एवं नियुक्ति के लिए मानदण्डों को पूरा करने वाला व्यक्ति इन हिदायतों के साथ संलग्न प्रोफार्मा में अपना विवरण सचिव, हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग के कार्यालय 9वीं मंजिल, कमरा नं० 38, हरियाणा सिविल सचिवालय, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ को दिनांक 31.03.2017 तक भेज सकते हैं। जो व्यक्ति राज्य/केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य संगठन के अधीन सेवारत है, वह अपना ब्यौरा उचित माध्यम से भिजवाएगा।
6. जिन व्यक्तियों ने सरकार के विज्ञापन दिनांक 22.03.2016 एवं 22.04.2016 के विरुद्ध आवेदन किया है उन्हें नया आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है।

सचिव, हरियाणा सरकार

हरियाणा सूचना का अधिकार आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद के लिए प्रोफार्मा

नवीनतम पासपोर्ट
आकार का फोटो
चिपकायें

1. नाम
 2. जन्म तिथि
 3. वर्तमान पता
 4. सम्पर्क नं०
- क) दूरभाष (एस०टी०डी० कोड सहित)
- ख) मोबाईल:
- ग) फ़ैक्स
5. ई-मेल पता:
 6. शैक्षणिक योग्यता:
 7. प्रतिष्ठिता का क्षेत्र:
 8. वर्तमान व्यवसाय:
 9. क्या आपके खिलाफ कोई अपराधिक मामला दर्ज है?
यदि हाँ, तो उसका विवरण ।
 10. क्या आप किसी अपराधिक अपराध के लिए चार्जशीट किये गये हैं?
यदि हाँ, तो उसका विवरण ।
 11. क्या आप किसी अपराधिक अपराध के लिए किसी सक्षम अदालत द्वारा दोषी ठहराये गये हैं?
यदि हाँ, तो उसका विवरण ।
 12. उपलब्धियां/काम करने का अनुभव :
(संक्षेप में)

दिनांक:
स्थान:

हस्ताक्षर
नाम: